विविध बैंक प्र0सं0 43/2017 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा औद्योगिक वित, नई दिल्ली <u>बनाम</u> 1—मैसर्स विकास डबल्यू एस. पी. लि0 पता 129, न्यू मण्डी यार्ड, श्रीगंगानगर व पता बी 86—87, उद्योग विहार, रीको औद्योगिक क्षेत्र, श्रीगंगानगर व पता रेलवे रोड़, सिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा (ऋणी) 2—श्री बी.डी. अग्रवाल (श्री बजरंग दास जिंदल) (निदेशक, जमानतदार) 3—श्रीमति विमला देवी जिंदल (निदेशक, जमानतदार) 4—श्रीमति कामिनी जिंदल पता 123 बिनोवा बस्ती, श्रीगंगानगर (निदेशक, जमानतदार)

<u>12.03.2018</u>

प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के अभिभाषक श्री तेजा सिंह उपस्थित है प्रार्थी बैंक के अभिभाषक की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के अभिभाषक श्री तेजा सिंह का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण 1—मैसर्स विकास डबल्यू एस. पी. लि0 पता 129, न्यू मण्डी यार्ड, श्रीगंगानगर व पता बी 86—87, उद्योग विहार, रीको औद्योगिक क्षेत्र, श्रीगंगानगर व पता रेलवे रोड़, सिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा (ऋणी) 2—श्री बी.डी. अग्रवाल (श्री बजरंग दास जिंदल) (निदेशक, जमानतदार) 3—श्रीमति विमला देवी जिंदल (निदेशक, जमानतदार) 4—श्रीमति कामिनी जिंदल पता 123 बिनोवा बस्ती, श्रीगंगानगर (निदेशक, जमानतदार) को ऋण सुविधा के रूप में 100—करोड़ रूपये (अखरे एक सौ करोड़ मात्र) ऋण दिनांक 16.02.2015 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीगण ने मैसर्स विकास डबल्यूएसपी लि. के नाम की सम्पत्तियों 1—प्लाट नं0 जी—1—237, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, रीको, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 2175 वर्गमीटर 2— प्लाट नं0 एफ—90, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, रीको, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 1970 वर्गमीटर 3—प्लाट नं0 बी—85, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 8000 वर्गमीटर को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नियमित रूप से नही करने के कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.03.2016 को एनपीए हो गया है। ऋण खाता एन.पी.ए. होने के बाद दिनांक 01.08.2016 को अप्रार्थीगण की ओर ऋण राशि 82,77,40,006.82/—रूपये एवंम आगे का ब्याज तथा अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के नोटिस दिनांक 20.08.2016 रजि0 डाक से भिजवाये गये। अप्रार्थीगण द्वारा धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी प्रार्थी बैंक की सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है जबकि दिनांक 05.05.17 को ऋण की बकाया राशि 90,76,60,454रूपये एवं 98पैसे बकाया है और न ही नोटिस के संबंध में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी बैंक का शपथ पत्र दिनांक 25.01.18 भी पेश है। इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी मैसर्स विकास डबल्यूएसपी लि. के नाम की सम्पत्तियों 1—प्लाट नं0 जी—1—237, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, रीको, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 2175 वर्गमीटर 2—प्लाट नं0 एफ—90, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, रीको, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 1970 वर्गमीटर 3—प्लाट नं0 बी—85, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 8000 वर्गमीटर का भौतिक कब्जा पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के अभिभाषक श्री तेजा सिंह के उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने 1–मैसर्स विकास डबल्यू एस. पी. लि0 पता 129, न्यू मण्डी यार्ड, श्रीगंगानगर व पता बी 86–87, उद्योग विहार, रीको औद्योगिक क्षेत्र, श्रीगंगानगर व पता रेलवे रोड़, सिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा (ऋणी) 2–श्री बी.डी. अग्रवाल (श्री बजरंग दास जिंदल) (निदेशक, जमानतदार) 3–श्रीमति विमला देवी जिंदल (निदेशक, जमानतदार) 4–श्रीमति कामिनी जिंदल पत्ता 123 बिनोवा बस्ती, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 100–करोड़ रूपये (अखरे एक सौ करोड़ मात्र) ऋण दिनांक 16.02.2015 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीगण द्वारा **मैसर्स विकास डबल्यूएसपी लि. के नाम की सम्पत्तियों 1–प्लाट नं0 जी–1–237, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, रीको, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 2175 वर्गमीटर 2– प्लाट नं0 एफ–90, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, रीको, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 1970 वर्गमीटर 3–प्लाट नं0 बी–85, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 8000 वर्गमीटर** को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 05.05.17 व 25.01.18 के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रार्थी बैंक द्वारा बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा करवाने हेतु अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 20.08.2016 के रजि0 डाक द्वारा भिजवाये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा मांग सूचना के उत्तर में न तो कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और न ही प्रार्थी बैंक की दिनांक 05.05.2017 को बकाया ऋण राशि 90,76,60,454रूपये व 98 पैसे जमा करवाई है। इसलिए उक्त बन्धक रखी गई सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण 1–मैसर्स विकास डबल्यू एस. पी. लि0 पता 129, न्यू मण्डी यार्ड, श्रीगंगानगर व पता बी 86–87, उद्योग विहार, रीको औद्योगिक क्षेत्र, श्रीगंगानगर व पता रेलवे रोड़, सिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा (ऋणी) 2–श्री बी.डी. अग्रवाल (श्री बजरंग दास जिंदल) 3–श्रीमति विमला देवी जिंदल 4–श्रीमति कामिनी जिंदल पता 123 बिनोवा बस्ती, श्रीगंगानगर (निदेशक व जमानतदार) के नाम धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 20.08..2016 रजि0 डाक से भिजवाये गये है। पत्रावली मे उपलब्ध धारा 13(2) नोटिस, रजिस्ट्री रसीदें व पोस्ट ऑफिस द्वारा डाक वितरण के अलग–2 विवरण पत्र दिनांक 14.01.17 के अनुसार श्रीमति कामिनी जिन्दल, श्रीमति विमलादेवी, श्री बी.डी.अग्रवाल व 19.01.17 के डाक वितरण के विवरण पत्र अनुसार मैसर्स विकास डबल्यूएसपी को धारा 13(2) के नोटिस वितरित हो चुके है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक की सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और प्रार्थी बैंक द्वारा प्रा0 पत्र के साथ प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 05.05.17 व 25.01.18 के अनुसार भी अप्रार्थीगण द्वारा धारा 13(2) के नोटिस के संबंध में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन भी प्रस्तुत नही किया है। बैंक के शपथ पत्र दिनांक 25.01.18 के अनुसार अप्रार्थीगण की ओर धारा 14 का प्रा0 पत्र पेश करने की दिनांक 05.05.17 को 90,76,60,454रूपये व 98पैसे (अखरे नब्बे करोड़ छियत्तर लाख साठ हजार चार सौ चौपन रूपये अठानवें पैसे) बकाया है। इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी **मैसर्स विकास डबल्यूएसपी लि. के नाम की सम्पत्तियों 1–प्लाट नं0 जी–1–237, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, रीको, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 2175 वर्गमीटर 2– प्लाट नं0 एफ–90, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, रीको, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 1970 वर्गमीटर 3–प्लाट नं0 बी–85, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 8000 वर्गमीटर** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी **मैसर्स विकास डबल्यूएसपी लि. के नाम की सम्पत्तियों 1—प्लाट नं0 जी—1—237, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, रीको, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 2175 वर्गमीटर 2— प्लाट नं0 एफ—90, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, रीको, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 1970 वर्गमीटर 3—प्लाट नं0 बी—85, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 8000 वर्गमीटर** का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना राम

(ज्ञाना राम)

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर